

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं


क्रमांक एफ.5()/नि.नि.वि./भौ.स.प्र./मबावि/लेखा/ICDS 20 6374-408 जयपुर, दिनांक: 3/12/18

1. प्रभारी अधिकारी (स्टोर),
मुख्यालय।
2. उपनिदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएँ
.....(समस्त)

विषय :-वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्टोर के भौतिक सत्यापन का प्रमाण-पत्र भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके नियंत्रणाधीन उपनिदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के भाग-II के नियम 12 के अनुसार भण्डार का भौतिक सत्यापन कराया जाकर संकलित प्रमाण-पत्र भिजवावें।

अतः भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र भिजवाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा विलम्ब के लिए आपका उत्तरदायित्व होगा।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ.5()/नि.नि.वि./भौ.स.प्र./मबावि/लेखा/ICDS 206409-713 जयपुर, दिनांक: 3/12/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त को प्रेषित कर लेख है कि वित्तीय 2017-18 के लिए अपने कार्यालय के भण्डार का भौतिक सत्यापन कराया जाकर अपेक्षित प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से उपनिदेशक को प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्राम मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।


वित्तीय सलाहकार